

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 मई 2010—वैशाख 29, शक 1932

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 मई 2010

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2004.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2004-114, दिनांक 6 जुलाई 2007 के अनुक्रम में एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति द्वारा डॉ. लालकृष्णा, एडी.जी.(ए.एच.), कृषि भवन, नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.